प्रेषक,

संख्या–डी०–3672/सात–वि०म०–/89

श्री ए० के० सिंह,
संयुक्त विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
विधि कोष्ठक,
राज्य विधि अधिकारी कार्यालय,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

न्याय (विधि मंत्रणा) अनुभाग, लखनऊः दिनांकः 6 नवम्बर, 1989

विषयः– मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं स्थायी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की आबद्धता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं स्थायी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की आबद्धता की शर्तें एवं फीस के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–डी०–1789/सात–विम०–30/89 दिनांक 30 जून, 1989 के प्रस्तर–3 में आबद्धता के कार्यकाल में निजी प्रैक्टिस करने की शर्त लगायी गई है जबकि प्रस्तर–7 में यह कहा गया है कि शासन से संबंधित निगम/उपक्रम/परिषद एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकारियों की ओर से पैरवी विधि परामर्शी की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। यद्यपि इससे यह स्पष्ट है कि शासन से संबंधित निगम/उपक्रम/परिषद एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकारियों की ओर से, निजी प्रैक्टिस का प्रतिबन्ध होते हुए भी, विधि परामर्शी की पूर्व अनुमति से पैरवी की जा सकती है, तथापि कतिपय अधिवक्ताओं में यह भ्रम व्याप्त है कि उक्त शासनादेश द्वारा जो निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध है वह सार्वजनिक उपक्रमों/निगम आदि के संबंध में भी लागू है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपक्रम/निगम/परिषद आदि तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से पैरवी की जा सकती है। परन्तु विधि परामर्शी को सूचित करके अनुमति प्राप्त कर लें।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक जिन्होंने उक्त शासनादेश दिनांक 30-6-89 के अनुसार निर्धारित तिथि तक उक्त शासनादेश को अधिकतम तीन ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम/परिषद/स्वायत्तशासी संस्था/प्राधिकारी जिनकी ओर से वह पैरवी की अनुमति चाहते हों का नाम तथा लम्बित प्रकरणों का विवरण उनके (संबंधित अधिवक्ता) द्वारा तुरन्त भेजा जाना चाहिये ताकि विधि परामर्श द्वारा उसके संबंध में अनुमति देने पर विचार किया जा सके।

3– शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि इन अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर किये गये कार्य की पंजिका भी नियमित रुप से नहीं रखी जा रही है जैसा कि उपलिखित शासनादेश द्वारा आदेशित किया गया है, जिसके अभाव में कृत कार्य के सत्यापन न होने के कारण मासिक फीस का आहरण एवं वितरण कार्य उचित न होगा।

4– मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि अधिवक्तागण ऐसे समस्त मामलों से संबंधित अपने फीस बिल उस उपक्रम/निगम/परिषद/स्वायत्तशासी संस्था/प्राधिकारी के माध्यम से सत्यापन हेतु न्याय (लेखा) अनुभाग को भेजेगें और न्याय (लेखा) अ नुभाग द्वारा उनका सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही संबंधित निगम/उपक्रम/संस्था अपने बजट से भुगतान करेगी।

5– अतः मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन अपने किये गये कार्य का विवरण एक पंजिका में रखेंगे जिसका सत्यापन प्रत्येक माह के अन्त में विधि परामर्शी/अपर विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर ही उस माह की फीस का आहरण एवं वितरण किया जायेगा। किसी माह में केवल एक कार्य दिवस की अनुपस्थिति क्षम्य होगी परन्तु किसी माह में एक कार्य दिवस से अधिक दिन अनुपस्थित होने तथा कार्य न करने पर संबंधित अधिवक्ता के मासिक पारिश्रमिक से अनुपतिक कटौती कर ली जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30-6-89 को समाप्त या शिथिल नहीं किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक शर्त का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह०/–ए० के० सिंह,
संयुक्त विधि परामर्शी

संख्या–डी०–3672(1)/सात–वि०म०–/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महाधिवक्ता उ०प्र० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) अपर अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ
(3) वाद अधीक्षक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
(4) न्याय (लेखा) अनुभाग।
(5) संबंधित मुख्य स्थायी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि वह प्रत्येक स्थाई अधिवक्ता को अवगत करा दें।
(6) लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ वह प्रत्येक अ पर लोक अभियोजक को अवगत करा दें।
(7) सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि वह सभी राज्य निगम/उपक्रम/कम्पनी/प्राधिकरण/परिषद के मुख्य कार्यकारियों को अवगत करा दें।

भवदीय
ह०/–ए० के० सिंह,
संयुक्त विधि परामर्शी